



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

७ पौष १९२७ (स०)

(सं० पटना ६९०ए)

पटना, बुधवार, २९ दिसम्बर २००५

बिर्सा (वाणिज्य-कर) विभाग

अधिसूचनाएं

२९ दिसम्बर २००५

एस०ओ० १२१-२९ दिसम्बर २००५—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, १९४९ की धारा ३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा किया जाना राज्य हित में आवश्यक है, बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार मनोरंजन-कर की दर ५० प्रतिशत वित्तिदिष्ट करते हैं।
२. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं० बिर्सा-कराग्र० कर-१२१/२००५]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मिश्र,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के सचिव।

२९ दिसम्बर २००५

एस०ओ० १२२—एस०ओ० १२१, दिनांक २९ दिसम्बर २००५ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाना है जिसे भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिर्सा-कराग्र० कर-१२१/२००५]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मिश्र,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के सचिव।

The 29th December, 2005

S.O. 121, dated 29th December, 2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 and upon being satisfied that it is necessary so to do in the interests of the State, the Governor of Bihar is pleased to specify the rate of entertainment tax at 50 per centum.

2. This notification shall come into force with effect from the date of issue.

[File No. Birkar-Kar/A.Kar-12/2005]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL

Commissioner and Secretary,

Bihar, Patna.

अधीक्षक, राज्यीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित

तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (अज्ञापरण); 690ए—टाइपो—571-1000—